न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार,आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 156/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मंगलसिंह पुत्र जुहारसिंह जी जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही		1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही 2– घनश्यामसिंह पुत्र गोविन्दसिंहजी 3– इज्यरायसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जी 4– प्रदीपसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जी 5– जितेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जी 6– शैतानकुंवर पत्नि गोविन्दसिंहजी सभी आयु व्यस्क जाति राजपूत निवासी डोडुआ तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री जितेन्द्रसिंह देवडा ,वकील प्रार्थी
2– अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार,सिरोही

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने ।

आदेश दिनांक 29–7–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण स्टेट बाबत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 8–9–2017 को पेश किया । जिसका संक्षिप्त मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ग्राम डोडुआपटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही जिला सिरोही मे आई हुई है जिसकी विगत जमाबंदी संवत 2063 से 2066 अनुसार निम्न प्रकार दर्ज है।

खसरा संख्या	क्षैत्रफल	भूमि वर्गीकरण
117	0.5000 हैक्टेयर	चाही 2
118	0.8200 हैक्टेयर	चाही 2
316/1	0.5300 हैक्टेयर	चाही 2
315	0.6600 हैक्टेयर	नहरी 2

कुल किता 4 कुल क्षैत्रफल 2.5100 हैक्टेयर

प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित आराजीको आपसी सहमति से बंटवाड मय तरमीम दिनांक 23–10–2008 के अनुसार प्राप्त हक हिस्से मय खसरान काबिज खातेदार हरिसिंह पुत्र विशनसिंह से खसरा संख्या 117 रकबा 0.5000 हैक्टेयर व खसरा नंबर 118 रकबा 0.8200 हैक्टेयर को जरिये विक्रय विलेख दिनांक 1–6–2009 को खरीदा एवं दिनांक 15–5–2009 को जरिसिंह पुत्र विशनसिंह खातेदार से खसरा संख्या 316/1 रकबा 0.5300 हैक्टेयर व चैनसिंह पुत्र विशनसिंहजी खातेदारसे खसरा नंबर 316/1 रकबा 0.5300 हैक्टेयर व चैनसिंह पुत्र विशनसिंह खातेदार से खसरा संख्या 315 रकबा 0.6600 हैक्टेयर को खरीदा तथा बाद जॉच ननामान्तकरण संख्या 173,174,व 175 कमानुसार प्रार्थी के नाम बतौर खातेदारी इन्द्राज किया गया तथा प्रार्थी उक्त सम्पूर्ण वर्णित आराजी पर बतौर खातेदार कब्जा काश्त है जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2063 से 2066 से स्पष्ट है। प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित खातेदारी के खसरा नंबर 117,118,316/1, 315 की जारी जमाबंदी संवत 2071 से 2074 मे राजस्व कर्मचारियों की भूल व लापरवाही से प्रार्थी खातेदार के स्थान पर उक्त खसरा नंबरान मय वर्णित रकबा मे गलत रूप से अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 का इन्द्राज कर दिया है। जमाबंदी संवत 2071 से 2074 मेएक मात्र दर्ज खाता संख्या नया 130 पुराना 124 अनुसार खसरा संख्या 1770 रकबा 2.8000 किस्म बारानी 2 मे ही अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के नाम की खातेदारी दर्ज है जो सही है लेकिन उक्त खाता दर्ज जमाबंदी मे खसरा नंबर 117,118,315,2215/316 मय वर्णित रकबा का इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम त्रुटिसे लिखा गया है जिस पर न तो कभी काश्त की हैएवं न ही उक्त खसरे पर आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 का कभी कब्जा रहा है उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 130 पुराना 124 एवं खसरा संख्या 117,118,315,2215/316, मय वर्णित रकबा का इन्द्राज जमाबंदी संवत 2071 से 2074 मे गलत नाम दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के स्थान पर जमाबंदी संवत 2063 से 2066 के अनुसार प्रार्थी मंगलसिंह पुत्र जुहारसिंहजी जाति राजपूत के नाम दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार,सिरोही को निर्देश दिलाना फरमावें एवं प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page-2

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित जमाबंदी संवत 2071 से 2074,जमांदी संवत 2063 से 2066,नामान्तकरण संख्या 173,174,175 की प्रतियॉ विकय विलेख दिनांक 1–6–2009,विकय विलेख दिनांक 15–5–2009 की प्रतियो की प्रमाणित प्रतियों का ड का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 8–9–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस दिनांक 11–10–2017 को तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 16–10–2017 को अप्रार्थी संख्या 2ता 6की ओर से वकील श्री प्रवीणकुमार छीपा ने अण्डर टेकिंग ली तथा सुनवाई पेशी दिनांक 5–12–2017 को न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 2,4,5 की ओर से वकील श्री प्रवीणकुमार छीपा ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

विचारण इस प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 20–4–2018 को वकील अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 से 6 तक की ओर से जवाब पेश कररने हेतु समय चाहने पर पत्रावली देखने पर पाया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 20–11–2017 से निरन्तर जवाब पेश करने हेतु कइ अवसर करीब 5 माह से देने के बावजूद आज तक जवाब पेश नही किया है जबकि सीपीसी के प्रावधानों के तहत 90 दिन मे जवाब पेश होना आवश्यक है। अतः वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु आगे समय दिया जाना उचित नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 तक का जवाब न्यायालय द्वारा बंद करने का आदेश दिया है।

विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 23–3–2018को न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 199 दिनांक 16–3–2016 के द्वारा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि ग्राम डोडुआ की जमाबंदी संवत 2063 से 2066 के खाता संख्या 569 अनुसार खसरा नंबर 117,118,316/1 रकबा कमशः 0.5000,0.8200,0.5300 किस्म चा.2 तथा खसरा नंबर 315 रकबा 0.6600 हेक्टेयर किस्म नहरी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज होना सत्य बताया है। ग्राम डोडुआ की जमाबंदी संवत 2063 से 2066 के खाता संख्या 569 के अनुसार प्रार्थनापत्र मे वर्णित कथन सत्य है। ग्राम डोडुआ की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 तरमीम करते समय वाद पत्र संख्या 1 मे वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के खाते मे दर्ज हो गई जो कि एक मानवीय भूल वं लिपिकीय त्रुटि मात्र है। जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 124 मे खसरा नंबर 1770 रकबा 2.8000 हैक्टेयर ही अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की खातेदारी आराजी है शेष चारो खसरे प्रार्थी श्री मंगलसिंह की खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 117,118,315,316/1 (ख.नं. 2215/316) जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 124 मे त्रुटिवंश दर्ज हो गये है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2,4 से 6 ने उक्त आराजी को मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा पाडीव के पक्ष मे रहन रख लिया था इसलिये शुद्वि पत्र की कार्यवाही संभव नही हो पाई है।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 23–7–2019 को वकील प्रार्थी द्वारा आज ही अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने से वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ,सिरोही के द्वारा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र,जवाब व संलग्न राजस्व रेकर्ड प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की अंतिम बहस पर भी गंभीरता से मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 का जवाब न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही बन्द किया जा चुका है तथा तहसीलदार ,सिरोही ने भी अपने जवाब मे इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के खाते मे दर्ज हो गई जो कि एक मानवीय भूल वं लिपिकीय त्रुटि मात्र है। जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 124 मे खसरा नंबर 1770 रकबा 2.8000 हैक्टेयर ही अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की खातेदारी आराजी है शेष चारो खसरे प्रार्थी श्री मंगलसिंह की खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 117 ,118,315,316/1 (ख.नं. 2215/316) जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या 124 मे त्रुटिवंश दर्ज हो गये है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2,4 से 6 ने उक्त आराजी को मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा पाडीव के पक्ष मे रहन रख लिया था इसलिये शुद्वि पत्र की कार्यवाही संभव नही हो पाई है। जमाबंदी संवत 2063 से 2066 के अनुसार खसरा संख्या 117 रकबा 0.5000 हैक्टेयर व खसरा संख्या 118 रकबा 0.8200 हैक्टेयर,खसरा संख्या 316/1 रकबा 0.5300 हैक्टेयर,खसरा संख्या 315 रकबा 0.6600 हैक्टेयर उक्त खसरान की वर्णित आराजी जरिये विकय विलेख से खरीदा है तथा उक्त वर्णित आराजी का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम दर्ज हुआ है जिसका नामान्तकरण संख्या 173,174 व 175 का इन्द्राज किया हुआ है जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 मे खसरा संख्या 117 ,118,316/1,315 मे मे राजस्व कर्मचारियों की भूल व लापरवाही से प्रार्थी खातेदार के स्थान पर उक्त खसरान मय वर्णित रकबा मे गलत रूप से अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 06 का इन्द्राज हुआ है जो पत्रावली के अवलोकन एवं स्टेट तहसीलदार,सिरोही के जवाब से स्पष्ट है। उपरोक्त आधार पर उक्त वर्णित खसरान का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के नाम गलत इन्द्राज हुआ है जो कि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आता है। उक्त त्रुटि को न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक तनाव व भविष्य मे इस प्रकरण मे और भी नई समस्या पैदा

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Continue Page-3

होने से कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही) को निर्देश दिये जाते है कि मौजा ग्राम डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील व जिला सिरोही के खाता संख्या नया 569 पुराना 525 ,खसरा संख्या 117 रकबा 0.5000 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 118 रकबा 0.8200 हैक्टेयर खसरा संख्या 316/1 रकबा 0.5300 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 315 रकबा 0.6600 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.5100 हैक्टेयर मे गलत नाम अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के स्थान पर जमाबंदी संवत 2063 से 2066 के अनुसार प्रार्थी मंगलसिंह पुत्र जुहारसिंहजी जाति राजपूत के नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दुरूस्त करें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 29–7–2019 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही